

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग— देवास (म०प्र०)



मेरसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार
श्री दीपक सहगल पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सहगल
निवासी— त्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने,
देवास भूमिस्वामी ग्राम— रसुलपुर
तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

आदेश

(दिनांक 12 मई 2015 को पारित)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि आवेदक मेरसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी त्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम रसुलपुर पहनं. 57 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 255/1/3/1 एवं सर्वे क्रमांक 255/6/2/1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबद म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत म०प्र० भूमि व्यपवर्तन से कृषि भिन्न आशय में परिवर्तन किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :—

1. पटवारी नक्षा
2. खसरा वर्ष 2014-15
3. बी-1 वर्ष 2014-15
4. विगत 12 वर्षों की खसरा नकल
5. शपथ पत्र
6. रजिस्ट्री की छायाप्रति

प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में आवेदक मेरसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी त्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम रसुलपुर पहनं. 57 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 255/1/3/1 एवं सर्वे क्रमांक 255/6/2/1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि आवेदक के नाम से भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है।

प्रकरण नियत शीर्ष में दर्ज कर व्यपवर्तन को अनुज्ञा जारी करने के प्रश्न पर अधीक्षक, भूमि व्यपवर्तन शाखा देवास, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश देवास, पूर्णा कार्यपालन अधिकारी देवास विकास प्राधिकरण देवास, आयुक्त नगर



पालिक निगम देवास एवं प०होनं.-27 / 57 से विभागीय अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे गये।

प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा विज्ञप्ति पत्र क्रमांक 2498-99 / रीडर-1 / 2015 दिनांक 25-04-2015 द्वारा जारी की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कार्यालयीन पत्र के पालन में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया:-

- 1- आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास की ओर से पत्र क्रमांक 1609 / लोनिवि / 14 दिनांक 01.11.2014 से आवेदक मेसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी ब्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम रसुलपुर पहनं. 57 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 255 / 1 / 3 / 1 एवं सर्वे क्रमांक 255 / 6 / 2 / 1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि के सम्बन्ध में व्यावसायिक प्रयोजन उपयोग हेतु व्यपवर्तन किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन देवास विकास योजना 2011 के प्रावधान अनुसार किया जाता है तो नगर पालिक निगम, देवास को उक्त भूमि के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवास विकास प्राधिकरण, देवास की ओर से पत्र क्रमांक 297 / तकनिकी शाखा / 2015 दिनांक 16.02.2015 से आवेदक मेसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी ब्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम रसुलपुर पहनं. 57 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 255 / 1 / 3 / 1 एवं सर्वे क्रमांक 255 / 6 / 2 / 1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि के सम्बन्ध में व्यावसायिक प्रयोजन उपयोग हेतु व्यपवर्तन किये जाने हेतु अभिमत दिया गया कि आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 0.285 हैक्टर प्राधिकरण की योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः आवेदक को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम तथा मास्टर प्लान-2011 के अनुसार भू-उपयोग अनुसार भूमि का उपयोग करने हेतु अनापत्ति भूमि विकास नियम 2012 के पालन करने की शर्त पर दी जाती है।
- 3- उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जवाहर नगर, देवास की ओर से उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक: 703 / 29 / 03 / नग्रानि / व्यप. / 2015 दि. 07-03-2015 से आवेदक मेसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी ब्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम रसुलपुर पहनं. 57 स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 255 / 1 / 3 / 1 एवं सर्वे क्रमांक 255 / 6 / 2 / 1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजन (आटो मोबाईल शो-रूम उपयोग) हेतु व्यपवर्तन निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा मोटर गैरेज कार्यशाला (आटो मोबाईल शो-रूम) उपयोग हेतु नियोजित स्थल मानन्तव्र के आश



प्रस्तुत आवेदन के संलग्न सत्यापित स्वामित्व दस्तावेज शपथ पत्र दिनांक 29.01.2015 को प्रस्तुत किया है।

1. (अ) निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

- अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा- 172
- ब. नजूल अधिकारी, नजूल विभाग, देवास।
- स. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल
- द. नजूल विभाग
- इ. राष्ट्रीय राजमार्ग
- फ. म.प्र. नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 (क्रमांक-23 सन् 1956)
- उ. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे। यदि किसी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत कोई अन्य विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक कंपनी के डायरेक्टर का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त संबंध में आपत्ति नहीं है।

(ब) प्रश्नाधीन भूमि पर संलग्न स्थल मानचित्रानुसार मापदण्ड इस प्रकार रहेगा:-

1. स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज संलग्न स्थल मानचित्र अनुसार।
2. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार एफ.ए.आर.
3. भवन की अधिकतम ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार।
4. पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुसार एक कार पार्किंग रेपेस प्रति 100 वर्गमीटर कुल निर्मित क्षेत्र की दर से।
5. एम.ओ.एस. संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार।

2. विषयांकित भूमि के सामने आगरा बाब्बे मार्ग स्थित है। देवास विकास योजना 2011 के प्रस्ताव अनुसार उक्त मार्ग की चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 60.00 मीटर रखते हुए नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी उपयोग हेतु भूमि सुरक्षित रखना होगी, उस किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। आवेदित भूमि से 30 मीटर चौड़ा नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी उपयोग की भूमि को बिना शर्त उक्त उपयोग हेतु सुरक्षित रखना होगा। जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

3. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अन्तर्गत चारों ओर रीमात खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का

[Signature]
अधिकारी के द्वारा दिलाई गई शपथ
(अधिकारी के नाम सहित)



- निर्माण अनुज्ञेय नहीं है। इसका पालन स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधारभूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा। एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही विकास किया जावेगा।
 5. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86-अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम 87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी, जिसका पालन आवेदक भू-स्वामी को आवश्यक रूप से करते हुए नियम 88 अनुसार भूकम्परोधी तकनिकी से आवेदक भूस्वामियों को मोटर गैरेज कार्यालय (आटो मोबाईल शोरूम) का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।
 6. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम 81(4) के अनुसार रेनवाटर हार्डस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी। इसके पश्चात् ही संबंधित विभाग द्वारा जल एवं विद्युत संयोजन किया जा सकेगा एवं तदानुसार इस कार्यालय को संबंधित विभाग द्वारा अवगत् कराया जावेगा।
 7. आच्छादित क्षेत्र संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भवन की ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों अनुसार मान्य होगी।
 8. विधिवत् व्यपवर्तन के पश्चात् उक्त अनुज्ञा की शर्तों के आधार पर संलग्न मानचित्र अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास कार्य किया जा सकेगा तथा इसका पालन सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
 9. यह अभिमत केवल मोटर गैरेज कार्यशाला (आटो मोबाईल शोरूम) उपयोग हेतु दिया गया है। अन्य उपयोग हेतु भूमि का उपविभाजन मान्य नहीं होगा। यदि उप विभाजन किया जाकर विक्रय किया जाता है, तो अनुमति के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाकर नियमानुसार कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
 10. आवेदक भूमिस्वामी द्वारा प्रस्तुत अक्ष/खसरा मानचित्र में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके वास्तुविद् की होगी।
 11. उक्त अभिमत को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना जावे और न ही यह अहस्तांतरणीय होगा एवं इस दस्तावेज को भू-स्वामित्व के साक्ष्य के रूप में किसी भी न्यायालय में दावे के रूप में प्रस्तुत किये जाना मान्य नहीं होगा।
 12. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम-84 परिशिष्ट झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगा। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग पर स्वीकार नहीं होगी।
 13. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार पार्किंग तल घर में प्रस्तावित की गई है। अतः म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के पात्रभान अनुसार तल घर का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा तब मात्र।



- प्राधिकारी द्वारा भवन अनुमति प्रदाय किये जाने के पूर्व नियमानुसार व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना होंगी।
14. विषयांकित भूमि के आसपास स्थित एवं अनुमोदित मार्गों को किसी भी प्रकार से बाउण्ड्री वाल से बाधित किया जाना मान्य नहीं होगा।
 15. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 23(1) के अनुसार यह अभिमत उक्त पत्र के जारी होने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष तक मान्य होगा।
 16. देवास विकास योजना 2011 के अध्याय 5 पृ.क. 115 की कण्डिका कमांक 5.8 के बिन्दू कमांक 03 अनुसार स्पष्ट प्रावधानित है कि ऐसे भूमि उपयोग गतिविधियां, जो प्रमुख भू-उपयोग में परिभाषित नहीं हैं। वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी। किंतु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग/स्वीकृत भूमि उपयोग 'सूची में तथा सम्बद्ध तालिका कमांक 4-सा-18 में शामिल हैं, के भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेगी।
 17. विषयांकित भूमि का सीमांकन राज्य विभाग से कराना होगा। सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती है, तो सीमांकित स्थल मानचित्र का अनुमोदन इस कार्यालय से कराना होगा।
 18. यह अनुज्ञा देवास विकास योजना 2011 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के निर्दिष्ट प्रावधानों एवं नियोजन की दृष्टि से दिया गया है। भू-स्वामित्व एवं भूमि सीमा के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अभिमत की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिहोक) कर दी जावेगी।
- 4— पटवारी हल्का नम्बर 27/57 ग्राम रसुलपुर से स्थल जॉच करवाई गई। जिसमें बताया कि आवेदक मेसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता रख. श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी ब्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास द्वारा उनके स्वामित्व की ग्राम रसुलपुर ाहनं. 57 स्थित भूमि सर्वे कमांक 255/1/3/1 एवं सर्वे कमांक 255/6/2/1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि पर सार्वजनिक स्थल स्थित नहीं होकर भूमि पर मन्दिर आदि धार्मिक स्थल स्थित नहीं है। भूमि पर हाईटेंशन लाईन, हरे भरे वृक्ष आदि नहीं है, भूमि पर नदी-नाला नहीं है। इसी प्रकार भूमि पर इमारती एवं फलदार वृक्ष स्थित नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त पड़ी है।
- 5— अधीक्षक, भू-अभिलेख (व्यपर्वतन) से प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण एवं जॉच प्रतिवेदन प्रकरण कमांक 45/अ-2/2014-15 देवास दि. 30-04-2015 में प्रतिवेदित किया कि:-
1. प्रश्नाधीन भूमि प०ह०न० 27/57 रसुलपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 255/1/3/1 एवं सर्वे कमांक 255/6/2/1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि आवेदक मेसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता रत श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी ब्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास के नाम से भूमिरवामी रखते पर कर्ज

[Signature]
प्रश्नाधीन भूमि का जॉच करवाई गई।



होकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है एवं प्रश्नाधीन भूमि मौके पर स्थित होकर खुली पड़ी है।

2. प्रश्नाधीन भूमि/स्थल पर हेवी विद्युत लाईन/टेलीफोन लाईन/पेड़/धार्मिक स्थल आदि नहीं है।
3. आवेदित भूमि का निर्धारण प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-2/1/2012/सात-शा.6/भोपाल दिनांक 10 जुलाई 2014 के पालन में नवीन कृषि भूमि के बाजार मूल्य की दरों से किया गया है।
4. राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रमाणित दर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु वर्तमान गाईड लाईन के मान से प्रति हैक्टर/प्रति वर्गमीटर 84,52,500/- से कृषि भूमि/प्लाट का बाजार मूल्य रूपये 2408962/- होता है। जिसका व्यावसायिक समूह के मान से भू-भाटक (पुनर्निर्धारण) कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.4 प्रतिशत के मान से रूपये 9636/- एवं प्रीमियम दर कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के मान से रूपये 48179/- होता है। जिसका निर्धारण किया जाना प्रस्तावित किया है।

प्रकरण में उपर्युक्त सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त आवेदित कृषि भूमि सशर्त व्यपवर्तन योग्य पाई गई है। अतः ग्राम रसुलपुर स्थित भूमि सर्व क्रमांक 255/1/3/1 एवं सर्वे क्रमांक 255/6/2/1 कुल रकबा 0.285 हैक्टर एवं लगान 3.632 पैसे की भूमि को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. राज्य शासन द्वारा स्वीकृत प्रमाणित दर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु वर्तमान गाईड लाईन के मान से प्रति हैक्टर/प्रति वर्गमीटर 84,52,500/- से कृषि भूमि/प्लाट का बाजार मूल्य रूपये 2408962/- होता है। जिसका व्यावसायिक समूह के मान से भू-भाटक (पुनर्निर्धारण) कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.4 प्रतिशत के मान से रूपये 9636/- एवं प्रीमियम दर कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के मान से रूपये 48179/- होता है। जिसका निर्धारण वर्ष 2014-15 से किया जाता है।
2. भूमि की वैधानिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई जानकारी गलत पायी जाने पर अथवा अभिमत की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अभिमत स्वतः प्रभाव शून्य माना जावेगा।
3. यह अभिमत आवेदक भू-स्वामी को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु दिया गया है। किसी भी प्रकार का उपविभाजन कर भूमि बिक्रित करना अथवा ऐसी कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी, जो कि नपानि अधिनियम एवं बने प्रावधानों के विपरित हो।
4. भूमि की वैधानिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अभिमत की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अभिमत स्वतः प्रभाव शून्य माना जावेगा।
5. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समर्त आधारभूत सुविधाओं का विकास आवेदक भू-स्वामी को स्वयं करना होगा।
6. उक्त अभिमत को भू-स्वामित्व संबंधी इत्यावेत नहीं माना जाय।



7. भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा।
8. यदि प्रार्थी को इस अनुज्ञा के अलावा कोई अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभाग/संस्थान से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह भी प्राप्त करना होगी। मुख्य मार्ग की ओर निस्तार हेतु भूमि छोड़ना होगी।
9. किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर अनुमति स्वमेव शून्य होगी।
10. आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का भू-भाटक 9636/- एवं प्रीमियम राशि रुपये 48179/- इस प्रकार कुल राशि रुपये 57815/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोतीबंगला, देवास में चालान क्रमांक 74 दिनांक 11 मई 2015 से जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत की गई।

उपर्युक्त कृषि भिन्न आशय से व्यावसायिक प्रयोजन हेतु की अनुज्ञा के साथ निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवेदक म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (4) (5) (6) के अधीन कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

(धीरज श्रीवास्तव)
अनुचित अनुमति अधिकारी
(अनुचित देवास प्रमुख)

पृ.क्रमांक: २७७/री-१/2015

देवास, दिनांक 12 मई 2015

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, भूमि व्यपर्वतन शाखा, देवास की ओर सूचनार्थ।
2. तहसीलदार, तहसील देवास की ओर सूचनार्थ।
3. पटवारी हल्का नं. 27/57, ग्राम रसुलपुर तहसील एवं जिला देवास।
4. कम्प्यूटर आपरेटर तहसील देवास की ओर अभिलेख में आवश्यक संशोधन करने हेतु। पालनार्थ।
5. आवेदक मेसर्स सृष्टि मोटर्स, देवास तर्फ भागीदार श्री दीपक सहगल पिता स्व. श्री सुरेन्द्र सहगल निवासी त्रेहन बंगला, सृष्टि क्लब के सामने, देवास की ओर सूचनार्थ।

अनुचित अधिकारी
अनुचित देवास (म0प्र0)